शुद्धिपत्र

इस समाचार पत्र में 21.02.2022 को प्रकाशित गुजरात मैटलिक कोल एंड कोक लिमिटेड की ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में वर्णित आरक्षित मूल्य 4,02,32,528.00 (चार करोड़ दो लाख बत्तीस हजार पांच सौ अट्ठाईस मात्र) की जगह **4,04,32,528.00 (चार करोड़ चार लाख बत्तीस हजार पांच सौ अट्ठाईस मात्र)** पढ़ें। असुविधा के लिये खेद है।

पंजाब नैशनल बैंक

मंडल सस्तरा केंद्र, जिला विकास भवन, रोहतक

शुद्धिपत्र

संबंधित पक्ष और जन साधारण को सूचित किया जाता है **02.02.2021** को प्रकाशित **ई-नीलामी सूचना** में सुरक्षित संपत्तियों की नीलामी 11.03.2022 के लिए रखी गयी है उसमें से निम्नलिखित सुरक्षित संपत्तिय की नीलामी रद्द कर दी गई है।

शाखा: दत्तौर, रोहतक, **खाता धारक:** सुदेश कुमारी पत्नी श्री वीरेंद्र, **संपत्ति:** मारुति सुजुकी की एक कार, मॉडल एस-क्रॉस जेटा, डिजल

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

कानूनी सूचना

माननीय श्यामल गुप्ता, पश्चिम बंगाल राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कोलकाता के पीठासीन सदस्य द्वारा सीसी/491/2019 में दिनांक 27.12.2021 द्वारा पारित एक आदेश, जिसमें एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड को ओपी के संबंध में पेपर प्रकाशन के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया था, जेनफोकस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने उन्हें सूचित किया कि मामला 28.04.2022 को तय किया गया है।

एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड
22, कैमक स्ट्रीट, ब्लॉक ए, तीसरी मंजिल, कोलकाता – 700016
ई-मेल: **info@spml.co.in**
दिनांक: **01.03.2022,** स्थान: **कोलकाता**

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और

बीएएएफ इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U29248DL1996PTC078829)
जिसका पंजीकृत कार्यालय: **डी-84, सिटी अपार्टमेंट, वसुंधरा, दिल्ली-110096** में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **सोमवार, 21 फरवरी 2022** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

डी-84, सिटी अपार्टमेंट, वसुंधरा, दिल्ली-110096

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
बीएएएफ इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
अनिल भान (निदेशक)
डीआईएन : 01650427

दिनांक : 28.02.2022
स्थान : दिल्ली

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और

ए एस शू एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74899DL1989PTC038495)
जिसका पंजीकृत कार्यालय: **15, सय्यद, नांगलोई, गुरुद्वारे वाली गली, दिल्ली-110041** में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्त्ता

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **25 जनवरी 2022** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।

15, सय्यद, नांगलोई, गुरुद्वारे वाली गली, दिल्ली-110041

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
ए एस शू एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
राकेश कुमार रस्तोगी (निदेशक)
डीआईएन : 00502724

दिनांक : 28.02.2022
स्थान : दिल्ली

एक्स.25

पंजी. ए/डी/दस्ती/एफिक्सएशन/बीट ऑफ ड्रम एवं प्रकाशन/डीआरटी का सूचना पट
विक्रय उद्घोषणा
वसूली अधिकारी-। का कार्यालय
ऋण वसूली अधिकरण-।।, मुंबई
एमटीएनएल भवन, तृतीय तल, कोलाबा मार्किट, कोलाबा, मुंबई

ओ/डब्ल्यू नं. 147/2022
आर.पी. नं. 143/2018 — **दिनांकित: 22.02.2022**

बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को देय-भुग्तेय ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 के साथ पठित आय कर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत विक्रय की उद्घोषणा

बैंक ऑफ बड़ौदा, जेकब सर्किल शाखा)....प्रमाणपत्र धारकगण
)....(मूल आवेदकगण)

विरुद्ध

मै. होलीस्टॉर नेचुरल रिसोर्सेज प्रा. लि. तथा अन्य)....प्रमाणपत्र देनदारगण

सीडी-1: मै. होलीस्टॉर नेचुरल रिसोर्सेज प्रा. लि., एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका अपना पंजीकृत कार्यालय 139-8, हिमायुपुर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 में स्थित है।
सीडी-2: श्री प्रदीप पालीवाल, बी-9/13, वसंत विहार, नई दिल्ली-110 057
सीडी-3: मै. रिद्धि सिद्धि ग्लूको बाइओल्स लि., एक लिमिटेड कंपनी जिसका अपना पंजीकृत कार्यालय 701, साकार-।, नेहरू ब्रिज के सम्मुख, निकट गांधीग्राम रेलवे स्टेशन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद-380 009 में स्थित है।
सीडी-4: मै. धर्मदेव इंफ्रास्ट्रक्चर लि., एक लिमिटेड कंपनी जिसका अपना पंजीकृत कार्यालय 701, साकार-।, नेहरू ब्रिज के सम्मुख, निकट गांधीग्राम रेलवे स्टेशन, आश्रम मार्ग, अहमदाबाद-380 009 में स्थित है।

जबकि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण सं. ।। मुंबई ने मूल आवेदन सं. 115/2014 के अंतर्गत प्रमाणपत्र देनदारों से वसूली प्रमाणपत्र **रु. 24,09,48,604.00** की ब्याज एवं लागतों के साथ वसूली हेतु आहरित किया है और इस प्रकार **रु. 21,27,84,567.00** की एक राशि वसूली प्रमाणपत्र/डिक्री के अनुसार आगे के ब्याज और शुल्कों के साथ वसूलीयोग्य है।

और जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त प्रमाणपत्र से संतुष्ट होकर के निम्न अनुसूची में वर्णित संपत्ति के विक्रय का आदेश पारित कर दिया है।

और चूंकि मूल आवेदन फाइल करने की तिथि **अर्थात् 13.03.2014 से लेकर के भुगतान तथा/अथवा सीडीज से वसूली होने तक मासिक शेषों के साथ 16.25 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज और पेंडेंट-लाइट के साथ रु. 21,27,84,567.00 (रुपए इक्कीस करोड़ सत्ताईस लाख चौरासी हजार पांच सौ सतसठ मात्र)** की एक राशि बकाया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है स्थगनादेश की अनुपस्थिति में उक्त संपत्ति को दिनांक 11.04.2022 को अपराहन 02.00 बजे से लेकर के अप. 03.00 बजे के मध्य (समापन से पूर्व अंतिम 5 मिनटों में बोलीदान होने की स्थिति में स्वतः विस्तार उपवाक्य के साथ, यदि आवश्यक हुआ तो) ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा और बोलीदान जो होगा वह एमआईएस ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजीज लि. की वेबसाइट **https://drt.auctiontiger.net** बी-704, वॉल स्ट्रीट-।।, ओरिएंट क्लब के सम्मुख, निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद 380 006, गुजरात (भारत), दूरभाष संख्याएं-079-68136841/55/51, 079-68136800, के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोलीदान" द्वारा संपन्न किया जाएगा। जिनसे संपर्क साधा जाना है वे व्यक्ति हैं: श्री प्रवीण कुमार थेवर (मोबाइल नं. 91 9722778828), ईमेल पता- **praveen.thevar@auctiontiger.net** अथवा **supnort@auctiontiger.net**

अन्य विवरणों के लिए इनसे संपर्क करें:
श्री अनिल कुमार सिंह, सहायक महाप्रबंधक मोबाइल 9930332686

विक्रय जो होगा वह निम्न अनुसूची में वर्णितानुसार उपरोक्त नामित प्रतिवादी की संपत्ति का होगा तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी हुई देनदारियां और दावे, अभी तक जिन्हें सुनिश्चित किया गया है, वह हैं जिन्हें प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है।

संपत्ति को अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट्स के अंतर्गत विक्रय हेतु रखा जाएगा। यदि वसूल की जानेवाली राशि संपत्ति के एक भाग को बेचने से प्राप्त हो जाती है, तो विक्रय को शेष-भाग के संदर्भ में, तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। विक्रय को तब भी रोक दिया जाएगा जब किसी लॉट के बिक जाने से पूर्व उक्त प्रमाणपत्र में वर्णित बकाया राशियां, ब्याज लागतें (विक्रय की लागत सहित) विक्रय का संचालन करनेवाले अधिकारी को भुगतान कर दी जाएंगी अथवा उनकी संतुष्टि के लिए यह साक्ष्य दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज और लागतों का अधोहस्ताक्षरकर्ता को भुगतान कर दिया गया है।

किसी भी अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति की विक्रय के संबंध में कोई ड्यूटी नहीं है, चाहे वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में बोलीदान करें, बेची गई संपत्ति में किसी हित की प्राप्ति अथवा प्राप्ति का प्रयास नहीं कर सकता। विक्रय जो है वह आय कर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उसके अंतर्गत विरचित नियमावली तथा निम्नलिखित अन्य शर्तों के अधीन होगा।

संलग्नित अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरणों को यद्यपि अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार वर्णित किया गया है तथापि अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वे इस उद्घोषणा में हुई किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण-विवरण अथवा चूकें हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे।

परिसंपत्तियों की नीलामी निम्नलिखित विवरणों के अनुसार लॉट-वार की जाएगी:-

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	निरीक्षण तिथि	आरक्षित मूल्य	धराज राशि	वृद्धिशील बोली
1	यूनिट प्रा. नं. एफए-4, एफए-5, एफए-6, एफए-7 एवं एफए-8 (सभी प्रथम तल पर) जिसका अधिनिर्मित क्षेत्राधिमापन लगभग 10000 वर्ग फुट है जो उस वाणिज्यिक परिसर के भाग के रूप में संस्थापित है, जो भूमि खसरा सं. 369 मिन., 370 मिन. एवं 371/1 मिन. पर निर्मित और ग्राम सुलतानपुर की विस्तारित आबादी (लाल डोरा), तहसील हौज खास, नई दिल्ली में स्थित है	04.04.2022	6,50,00,000/-	65,00,000/-	1,00,000/-
2	यूनिट प्रा. नं. जीबी-1, जीबी-6 एवं जीबी-6ए (सभी भू तल पर) जिसका अधिनिर्मित क्षेत्राधिमापन लगभग 7500 वर्ग फुट है जो उस वाणिज्यिक परिसर के भाग के रूप में संस्थापित है, जो 'एम. जी. सेंट्रम' के रूप में अभिज्ञात है, जो भूमि खसरा सं. 382 मिन. पर निर्मित और ग्राम सुलतानपुर की विस्तारित आबादी (लाल डोरा), तहसील हौज खास, नई दिल्ली में स्थित है	04.04.2022	8,25,00,000/-	82,50,000/-	1,00,000/-

1. आरक्षित मूल्य जिससे कम पर संपत्ति नहीं बेची जाएगी, वह ऊपर वर्णित लॉट्स के अनुसार होगा।
2. जिस राशि पर बोली को बढ़ाया जाना होगा, वह ऊपर वर्णित लॉट्स के अनुसार होगी। बोली की राशि के कारण अथवा बोलीदाता के कारण उत्पन्न होनेवाले किसी विवाद की स्थिति में लॉट को एक बार पुनः नीलामी पर रख दिया जाएगा।
3. सर्वोच्च बोलीदाता को किसी लॉट के क्रेता के रूप में घोषित किया जाएगा। यह अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेक पर निर्भर होगा कि वह तब सर्वोच्च बोली को अस्वीकार/स्वीकार कर सकता है जब प्रस्तावित मूल्य इतने स्पष्ट रूप में अपर्याप्त प्रतीत हो कि इस पर आगे बोलीदान करना अनुचित हो।
4. जनसाधारण को एतद्द्वारा आमंत्रित किया जाता है कि वे आएं और उक्त ई-नीलामी में भाग लेकर बोलीदान करें। ऊपर वर्णित लॉट्स के अनुसार धराज की राशि के साथ किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के साथ एक मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तावों को रखकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास 06.04.2022 को अपराहन 04.30 बजे तक जमा कर दिए जाने चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर जो हैं उन्हें आर.पी. नं. 143 ऑफ 2018 के अंतर्गत "वसूली अधिकारी, डीआरटी-।।, मुंबई" के पक्ष में आहरित किया जाना चाहिए। उपरोक्त राशि/डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर असफल बोलीदाताओं को केवाईसी प्रलेखों के नियत सत्यापन/जमाकरण के पश्चात् वापस लौटा दिया जाएगा। टैन/पैन कार्ड, पता साक्ष्य, डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर की सत्यापित छायाप्रति ऑनलाइन प्रस्ताव के साथ अपलोड करनी होगी। धराज और अन्य जानकारियों/विवरणों के साथ ऑनलाइन प्रस्तावों को जमा करने की अंतिम तिथि 06.04.2022 को 4.30 बजे तक है। संपत्तियों का संपत्ति-स्थल पर आंखों देखा वास्तविक निरीक्षण-अवलोकन 04.04.2022 से प्रातः 10.00 बजे से लेकर के सायं 05.00 बजे के मध्य किया जा सकता है।
5. पैन कॉर्ड, पता साक्ष्य और पहचान साक्ष्य की प्रति, ईमेल आईडी, मोबाइल नं. तब भी प्रस्तुत करने होंगे जब बोलीदानकर्ता अपने स्वयं की ओर से अथवा अपने प्रधानों की ओर से बोलीदान कर रहे होंगे। प्रधानों की ओर से बोलीदान करने की स्थिति में उनसे अपेक्षित होगा कि वे अपनी प्राधिकारिता प्रस्तुत करें और ऐसा करने में चूक होने पर उनकी बोलियां अस्वीकार कर दी जाएंगी। अंपनी की स्थिति में कंपनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित संकल्प की प्रति अथवा कंपनी के अभिवेदन/अटार्नी की अभिपुष्टि करनेवाला कोई अन्य प्रलेख और ऐसे जमा किए जानेवाले प्रलेखों की रसीद/काउंटर फोइल जो हैं वे उक्त सेवा प्रदान अथवा सीएच बैंक के पास ईमेल द्वारा अथवा अन्यथा उक्त तिथि तक पहुंच जाने चाहिए और वास्तविक प्रति को 06.04.2022 को 4.30 बजे तक वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।, मुंबई के पास जमा करना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर, बोली पर विचार नहीं होगा।
6. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्यदिवस अर्थात् 4.30 बजे तक आर.पी. नं. 143 ऑफ 2018 के अंतर्गत "वसूली अधिकारी, डीआरटी-।।, मुंबई" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में अथवा सीधे ही आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक, फोर्ट मार्किट शाखा, मुंबई के खाता सं. 30043253890, वसूली अधिकारी, डीआरटी-।।, मुंबई का आईएफएससी कोड नं.: एसबीआईएन0005347 में धराज का समायोजन करने के उपरांत अपनी अंतिम बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी।
7. क्रेता को अंतिम बोली राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन अथवा इससे पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वें दिन रविवार अथवा अन्य अवकाश पड़ता है तो तब 15वें दिन के उपरांत पड़नेवाले प्रथम बैंक कार्यदिवस पर उपरोक्त पैरा 6 में वर्णितानुसार निर्धारित विधि द्वारा राशि जमा करनी होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त, क्रेता को वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।। के पास रजिस्ट्रार, डीआरटी-।।, मुंबई के पक्ष में डीडी के माध्यम से रु. 1,000/- तक की राशि पर 2 प्रतिशत की दर पर और उक्त रु. 1,000/- से अधिक की राशि पर 1 प्रतिशत की दर पर दांडिक यानी पाउंडेज शुल्क भी जमा करना होगा।

निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान न करने की स्थिति में, पहले से जमा की गई राशि, को बिक्री के व्ययों को चुकाने के बाद, यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता ऐसा करना उचित समझते हैं, सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता क्रेता के संपत्ति और जमाकृत राशि से संबंधित समस्त दावे जो हैं वे जब्त हो जाएंगे। और इस प्रकार विक्रय की नई उद्घोषणा के निर्गत होने के बाद संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। इसके अलावा क्रेता जो है वह अपनी अंतिम बोली राशि और वह मूल्य जिस पर बाद में इसे बेचा जाता है के मध्य किसी अंतर अथवा घाटे की भरपाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

संपत्ति को "जैसी है जहां है आधार" और "जैसी है जो है आधार" पर बेचा जा रहा है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास अनुचित पाए जाने पर किसी अथवा समस्त बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा कोई कारण बताए बिना किसी भी समय नीलामी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

लॉट्स की सं.	जहां संपत्ति चूककर्ता अथवा सह-स्वामियों के रूप में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है, वहां सह-स्वामियों के नामों के साथ बेची जानेवाली संपत्ति का विवरण	संपत्ति पर अथवा उसके किसी भाग पर मूल्यांकित राजस्व	किसी अन्य भारग्रस्तता के विवरण जो संपत्ति पर है	दावे, यदि कोई, जिन्हें संपत्ति हेतु अग्रसारित किया गया है, तथा इसकी प्रकृति और मूल्य का कोई अन्य ज्ञात विवरण
1	2	3	4	5
1	यूनिट प्रा. नं. एफए-4, एफए-5, एफए-6, एफए-7 एवं एफए-8 (सभी प्रथम तल पर) जिसका अधिनिर्मित क्षेत्राधिमापन लगभग 10000 वर्ग फुट है जो उस वाणिज्यिक परिसर के भाग के रूप में संस्थापित है, जो 'एम.जी. सेंट्रम' के रूप में अभिज्ञात है, जो भूमि खसरा सं. 369 मिन., 370 मिन. एवं 371/1 मिन. पर निर्मित और ग्राम सुलतानपुर की विस्तारित आबादी (लाल डोरा), तहसील हौज खास, नई दिल्ली में स्थित है	अनुपलब्ध	बंधक	अनुपलब्ध
2	यूनिट प्रा. नं. जीबी-1, जीबी-6 एवं जीबी-6ए (सभी भू तल पर) जिसका अधिनिर्मित क्षेत्राधिमापन लगभग 7500 वर्ग फुट है जो उस वाणिज्यिक परिसर के भाग के रूप में संस्थापित है, जो 'एम.जी. सेंट्रम' के रूप में अभिज्ञात है, जो भूमि खसरा सं. 382 मिन. पर निर्मित और ग्राम सुलतानपुर की विस्तारित आबादी (लाल डोरा), तहसील हौज खास, नई दिल्ली में स्थित है	अनुपलब्ध	बंधक	अनुपलब्ध

आज दिनांक 22 फरवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा के अंतर्गत निर्गत किया गया है।

मुहर

हस्ता./-
सुनील के मेषराम
वसूली अधिकारी
डीआरटी ।।, मुंबई

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार; क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
इंडियन पोर्टफोलिओ लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं.-311, IIरा तल, अशोका एन्क्लेव एक्स्टेंशन-III, फरीदाबाद एचआर 121001 आईएन में है, के मामले में

..... **आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य" से "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 19 फरवरी, 2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
प्लॉट नं.-311, IIरा तल, अशोका एन्क्लेव एक्स्टेंशन-III, फरीदाबाद एचआर 121001 आईएन में

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
इंडियन पोर्टफोलिओ लिमिटेड
हस्ता./-
ज्योति जिन्दल
निदेशक
DIN : 08539619

तिथि: 01.03.2022
स्थान: हरियाणा

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार; क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
जेनेसिस फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं.-311, IIरा तल, अशोका एन्क्लेव एक्स्टेंशन-III, फरीदाबाद एचआर 121001 आईएन में है, के मामले में

..... **आवेदक**

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य" से "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 19 फरवरी, 2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
प्लॉट नं.-311, IIरा तल, अशोका एन्क्लेव एक्स्टेंशन-III, फरीदाबाद एचआर 121001 आईएन में

आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
जेनेसिस फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
ज्योति जिन्दल
निदेशक
DIN : 08539619

तिथि: 01.03.2022
स्थान: हरियाणा

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने के लिये विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, (केंद्र सरकार)
कॉर्पोरेट मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम(6) के क्लॉज(ए) के मामले में
तथा
केएस प्रॉपमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
(CIN:U70101DL2010PTC207885) जिसका पंजीकृत कार्यालयः **ए-22, हिल व्यू अपार्टमेंट्स, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057** में है, के मामले में

....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए **सोमवार, 31 जनवरी, 2022** को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खंड-II के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **चौदह दिनों** के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, के पतेः **बी 2 विंग, दितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003** में जमा करें या उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर डाक से भेजें: **ए-22, हिल व्यू अपार्टमेंट्स, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057**

उनके लिए और उनकी ओर से
केएस प्रॉपमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
चेतन स्वरा
(निदेशक)

तिथि : 01.03.2022
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने के लिये विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक, (केंद्र सरकार)
कॉर्पोरेट मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम(6) के क्लॉज(ए) के मामले में
तथा
वीएसआर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
(CIN:U70100DL2010PTC209004) जिसका पंजीकृत कार्यालयः **ए-22, हिल व्यू अपार्टमेंट्स, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057** में है, के मामले में

....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"हरियाणा राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए **सोमवार, 31 जनवरी, 2022** को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खंड-II के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसी ए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निव